

**प्रेस विज्ञप्ति**

आईआईएमए एफ़एमई मिश्रा केंद्र ने एक अध्ययन चलाया[[1]](#endnote-1) - "आईआरपी के विलय पर नियंत्रण : क्या संकटग्रस्त फर्मों के अधिग्रहण की जांच पड़ताल की जाती है?" (दी इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ़ इंडिया (आईबीबीआई) द्वारा इसके "आईबीबीआई रिसर्च इनिशिएटिव, 2019" के माध्यम से समर्थित)।

**30 जून | अहमदाबाद :**

**सारांश :**

जुलाई 2019 में, प्रतिस्पर्धा कानून समीक्षा समिति की रिपोर्ट ने सिफारिश की थी कि **दिवालियापन संकल्प योजना** (आईआरपी) जो संयोजन में परिणाम देती है उसको ग्रीन-चैनल निर्गम की सुविधा दी जानी चाहिए। इसका मतलब यह होगा कि आईआरपी संयोजन बिना किसी विलय की जांच के स्वचालित रूप से अनुमोदित हो जाएगा। इस सिफारिश का सैद्धांतिक आधार *कंपनी की रक्षा में विफल* याने फेलिंग फर्म डिफेंस है जो पक्षों को विलय में प्रवेश करने की अनुमति देती है अगर वे ऐसा दिखाते हैं कि बाजार से किसी फर्म का बाहर निकलना विलय की तुलना में अधिक हानिकारक होगा। यह अध्ययन प्रतिस्पर्धा कानून के लेंस के माध्यम से ग्रीन चैनलिंग आईआरपी के औचित्य का आकलन करता है। यह अध्ययन उन आईआरपी की जांच करता है जो सीसीआई द्वारा जांच की गई हैं और यह भी जांच करता है कि क्या उनसे अन्य विलय से अलग तरीके से व्यवहार किया गया है या नहीं। हम यूरोपीय संघ का उपयोग इस बात की तुलना करने के लिए कर रहे हैं कि कैसे *कंपनी की रक्षा में विफल* को लागू किया जा रहा है और यह बताने के लिए भी कि पूर्ण प्रतियोगिता मूल्यांकन के बगैर ग्रीन-चैनलिंग आईआरपी के लिए प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रभाव आ सकते हैं। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि विलय का आकलन करते समय एक फर्म की विफलता एक महत्वपूर्ण विचार है, यह उनकी वांछनीयता का एकमात्र निर्धारक नहीं हो सकता है। इस रिपोर्ट का आकलन निम्न लिंक से किया जा सकता है :

<https://www.ibbi.gov.in/uploads/publication/dc195510e9141a689e41ad181ab66cea.pdf>

**सर्वेक्षण से प्रमुख अंतर्दृष्टि / निष्कर्ष :**

अगस्त 2016 में कॉरपोरेट दिवालियापन से संबंधित आईबीसी के प्रावधानों के प्रभावी होने के बाद, सीसीआई को सोलह आईआरपी के बारे में सूचित कर दिया गया था जिनमें संयोजन शामिल था। इस अध्ययन में प्रोफेसर राम मोहन और सुश्री राज, उन सभी सोलह आईआरपी कि जिनमें संयोजन शामिल थे उनके विश्लेषण करते हैं और आईआरपी के मूल्यांकन के लिए सीसीआई के दृष्टिकोण और आईआरपी के संदर्भ में दिवालियापन कानून और प्रतिस्पर्धा कानून के बीच संघर्ष के संभावित क्षेत्रों का आकलन पर चर्चा करते हैं।

1. यूरोपीय संघ में कंपनी की रक्षा में विफल का उपयोग करने वाले मामलों के विश्लेषण से, हम पाते हैं कि एक फर्म के संभावित परिसमापन के अलावा ऐसी परिस्थितियां हैं, जिन्हें रक्षा के उपयोग की चेतावनी देने के लिए पूरा करने की आवश्यकता है।
2. विलय के लिए पार्टियोँ को, आपस में, यह दिखाने की जरूरत है कि विलय के लिए कोई कम प्रतिस्पर्धा विरोधी बनी रहे ऐसा विकल्प ही नहीं था।

जांच का यह स्तर ग्रीन चैनलिंग के माध्यम से नहीं हो सकता है, जहां फर्म की रक्षा में विफलता पर केवल पहले परीक्षण की पुष्टि की जाती है – यह कि विलय के अभाव में फर्म बाजार से बाहर निकल जाएगी। भारत का विलय नियंत्रण शासन काफी हद तक स्वभाव से संदिग्ध है, तो अध्ययन में निम्नलिखित पाया गया है :

1. विलय के लागू होने से पहले फर्मों को सीसीआई की मंजूरी के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है।
2. ग्रीन चैनलिंग भारत को एक संदिग्ध शासन से हटाकर यूनाइटेड किंगडम और न्यूजीलैंड जैसे स्वैच्छिक विलय शासन की ओर ले जाता है।
3. इनके विलय किए जाने के बाद संस्थाओं की संपत्ति का पता लगाना एक नई प्रकार की चुनौती है, जिसका भारत को स्वैच्छिक शासन की ओर बढ़ने पर सामना करना पड़ेगा।
4. दिवालियापन के संदर्भ में, एक आईआरपी के प्रभावी होने के बाद प्रतियोगिता उपचार की संभावना जारी होने से आईआरपी से जुड़ी स्थिरता कम हो जाती है।

आईआरपी के लिए विलय के विनियमन के संदर्भ में दिवाला और प्रतिस्पर्धा शासनों के बीच तनाव को पहचानकर इस अध्ययन को समाप्त किया जाता है।

1. ग्रीन चैनलिंग दिवालियापन कार्यवाही के संदर्भ में अवसरवादिता की आवश्यकता को संतुष्ट करता है लेकिन यूरोपीय संघ का अनुभव दर्शाता है कि विफल कंपनियों का विलय भी प्रतिस्पर्धा-विरोधी हो सकता है।
2. इस तनाव को पूरी तरह से प्रक्रिया से दूर करने के बजाय एक आईआरपी की प्रतियोगिता की जांच के लिए अनुमत समय को कम करके सुलझाया किया जा सकता है।
1. *\*यह अध्ययन आईआईएमए के व्यापार नीति विषय-क्षेत्र के प्रोफेसर एम. पी. राम मोहन और विशाखा राज द्वारा किया गया था।*

*मीडिया प्रश्नों के लिए, कृपया संपर्क करें :*

**दीपक भट्ट**

**प्रबंधक, संचार**

दूरभाष : सेल) +91-9426229429, (कार्यालय) +91-79-7152 4683,

ईमेल : mngr-comm@iima.ac.in

**मिताली नायडू**

**कार्यकारी, जनसंपर्क**

दूरभाष : (सेल) +91-7069074816, (कार्यालय) +91-79-7152 4684,

ईमेल : pr@iima.ac.in [↑](#endnote-ref-1)